BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 मई, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- जगदीश सिंह पुत्र श्यामलाल 2- ओमवती देवी पत्नी जगदीश सिंह निवासीगण ग्राम मनापुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष - 2019 में दहेज की मांग पूरी न होने पर वादिया श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 श्री ओमवीर सिंह निवासी कृपारानपुर थाना जवां जनपद अलीगढ़ की पुत्री की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.06.2019 को थाना डिबाई पर मुअसं – 260/2019 धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.09.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.05.2024 को मा0 न्यायालय एफटीसी- 04 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जगदीश सिंह व ओमवती देवी को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वीरपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर